प्रेषक,

कुलदीप कुमार–द्वितीय,
जिला न्यायाधीश,
रामपुर।

Reg. No 1067
File No IV/2991
Serial No 119

सेवा में,

महा–निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांकः 3515 दिनांकः जनवरी 5-1, 2018

विषयः श्री इश्तियाक़ अली के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दावा अंकन रू0 15967–00 मात्र के भुगतान हेतु अनुदान की मांग।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री इश्तियाक़ अली, अपर जिला जज को अंकन रू0 15967–00 मात्र की धनराशि उनकी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में जिला न्यायाधीश, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 30–05–2016 को स्वीकृत की गई थी, जिसका भुगतान अनुदान के अभाव में नहीं हो सका है। श्री इश्तियाक़ अली जनपद प्रतापगढ़ से स्थानांतरित होकर दिनांक 10–05–2017 से जनपद रामपुर में कार्यरत हैं।

अतः जनपद न्यायालय प्रतापगढ़ का उपरोक्त भुगतान न किये जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं रू0 15967–00 के स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि लेखा शीर्षक 2014–00–105–03–जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अन्तर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अंकन रू0 15967–00 मात्र का अनुदान माननीय न्यायालय से स्वीकृत कराकर प्रेषित कराने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

5/1/2018

(कुलदीप कुमार–द्वितीय)
जिला न्यायाधीश,
रामपुर।

DISTRICT JUDGE
RAMPUR (U.P.)

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

प्रेषक,

कुलदीप कुमार–द्वितीय,
जिला न्यायाधीश,
रामपुर।

सेवा में,

महा–निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक: 36/5 दिनांक: जनवरी 5, 2018

विषय: श्री इश्तियाक़ अली के आप्टिकल व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 14500–00 मात्र के अनुदान की मांग।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री इश्तियाक़ अली, अपर जिला जज को अंकन रू0 14500–00 मात्र की धनराशि आप्टिकल व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में जिला न्यायाधीश, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 30–05–2016 को स्वीकृत की गई थी, जिसका भुगतान अनुदान के अभाव में नहीं हो सका है। श्री इश्तियाक़ अली जनपद प्रतापगढ़ से स्थानांतरित होकर दिनांक 10–05–2017 से जनपद रामपुर में कार्यरत हैं।

अतः जनपद न्यायालय प्रतापगढ़ का उपरोक्त भुगतान न किये जाने से सम्बंधित प्रमाण पत्र एवं रू0 14500–00 के स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि लेखा शीर्षक 2014–00–105–03–जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अन्तर्गत आप्टिकल व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अंकन रू0 14500–00 मात्र का अनुदान माननीय न्यायालय से स्वीकृत कराकर प्रेषित कराने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

5/1/2018

(कुलदीप कुमार–द्वितीय)
जिला न्यायाधीश,
रामपुर।
05/01/18

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

D.R.(R.R.) Admn
S.O. Admn, H/A
12/1/2018

Ms. Himani
25.1.18

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 15:38:05 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad